राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :–141 / 2025

डॉ. केसर सिंह कामरा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप–2 एवं पंचायती राज, चिकित्सा, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, सोसाईटी, आरजेएमईएस, जयपुर।
5. प्रधान एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में एसोसियट प्रोफेसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, अनूपगढ़ में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जहां पर एसोसिएट प्रोफेसर का पद स्वीकृत नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिला भी समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार के राज पत्र दिनांक 22.02.2022 के पृष्ठ संख्या 11 पर प्रावधान किया गया है कि नये मेडिकल कॉलेज में लगे चिकित्सक शिक्षकों को उस संस्थान से पांच वर्ष तक स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी स्वयं मधुमेय हृदय रोग से पीड़ित है। कार्डियोलोजिस्ट से नियमित उपचार लेने के बावजूद भी दो बार एन्जियोप्लासी कारी गयी है। जिसके बाद अपीलार्थी को स्टंट भी डल चुके है तथा अपीलार्थी की माता जी भी मधुमेय व हृदय रोग से पीड़ित है अपीलार्थी माता–पिता की इकलौती

संतान है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है एवं अनूपगढ़ मुख्यालय पर हृदय रोग उपचार संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 01 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 02 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य